"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2008—कार्तिक 30, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री एल. एस. केन, भा. प्र. से. (सीजी-2000) उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2008

क्रमांक 10499/21-ब/छ. ग./08.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का क्रमांक 2) की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्न सूची के कॉलम नं. (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विधान सभा चुनाव 2008 शांतिपूर्वक संपादन हेतु उनके नाम के समक्ष कॉलम (3) में दर्शित क्षेत्र के लिए उन्हें विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और उन्हें संहिता के अधीन कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की शक्ति प्रदान करती है :—

अनुसूची

क्रमांक	अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	क्षेत्र के नाम जहां पर विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है
(1)	(2)	(3)
1.	श्री बी. डी. पाटले, अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	बिलासपुर
2.	श्री जे. एस. कुशराम, अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	बिलासपुर
3.	श्री ए. आर. टण्डन, अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	बिल्हा
4.	श्री अजीत पुजारी, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	मरवाही
5.	श्री आर. पी. सुनहरे, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	तखतपुर
6.	श्री जी. कुजूर, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	बेलगहना
7.	श्री एल. आर. लहरे, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	जरहागांव
8.	श्री टी. आर. रात्रे, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	मुंगेली
9.	श्री ए. आर. चतुर्गोष्ठी, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	बिलासपुर
10.	श्री वहीदुर्रहमान शाह, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	चकरभाटा
11.	श्री एस. डी. बडगैया, वन मण्डल अधिकारी, बिलासपुर	तारबहार
12.	नीलम एल्मा, सहायक नियंत्रक, नापतौल, बिलासपुर	सरकंडा
13.	श्री बसंत पाण्डेय, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बिलासपुर	कोटा
14.	श्री सी. एल. जैयसवाल, सी. इ. ओ., जनपद पंचायत, पेण्ड्रा	पेण्ड्रा
15.	श्री जी. आर. अजगले, सी. इ. ओ., जनपद पंचायत, मरवाही	मरवाही
16.	श्री जे. आर. भगत, सी. इ. ओ., जनपद पंचायत, मस्तूरी	मस्तूरी
17.	अर्चना मिश्रा, सी. इ. ओ., जनपद पंचायत, बिल्हा	बिल्हा
18.	श्री पंकज देव, सी. इ. ओ., जनपद पंचायत, तखतपुर	तखतपुर

Raipur, the 7th November 2008

F. No. 10499/XXI-B/C. G./08.—In exercise of the powers conferred under Section 21 of Criminal Procedure Code, 1972 (No. 2 of 1974), the State Government hereby appoints the officers specified in column No. (2) of the schedule below as Special Executive Magistrate for the area shown in column No. (3) of the schedule in order to carry out the Assembly Election 2008 peacefully and confers the powers of Executive Magistrate under the code with

immediate effect ;—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name and Designation of Officers (2)	Name of the Zonal area for which Special Executive Magistrate is appointed (3)
1.	Shri B. D. Patley, Superintendent, Land Record, Bilaspur	Bilaspur
2.	Shri J. S. Kushram, Superintendent, Land Record, Bilaspur	Bilaspur
3.	Shri A. R. Tandan, Superintendent, Land Record, Bilaspur	Bilha
4.	Shri Ajit Pujari, Asstt. Superintendent, Land Record, Bilaspur	Marvahi
5.	Shri R. P. Sunhare, Asstt. Superintendent, Land Record, Bilaspur	Takhatpur
6.	Shri G. Kujur, Asstt. Superintendent, Land Record, Bilaspur	Belgahna
7.	Shri L. R. Lahre, Asstt. Superintendent, Land Record, Bilaspur	Jarhagaon
8.	Shri T. R. Ratre, Asstt. Superintendent, Land Record, Bilaspur	Mungeli
9.	Shri A. R. Chaturgoshti, Asstt. Superintendent, Land Record, Bilaspur	Bilaspur
10.	Shri Vahidurahman Shah, Asstt. Superintendent, Land Record, Bilaspur	Chakarbhata
11.	Shri S. D. Badgaiya, Divisional Forest Officer, Bilaspur	Tarbahar
12.	Nilam Alma, Asstt. Controller, Weights & Measure, Bilaspur	Sarkanda
13.	Shri Basant Pandey, Asstt. Superintendent, Land Record, Bilaspur	Kota
14.	Shri C. L. Jaiswal, C. E. O., Janpad Panchayat, Pendra	Pendra
15.	Shri G. R. Ajgale, C. E. O., Janpad Panchayat, Marvahi	Marvahi
16.	Shri J. R. Bhagat, C. E. O., Janpad Panchayat, Masturi	Masturi
17.	Archna Mishra, C. E. O., Janpad Panchayat, Bilha	Bilha
18.	Shri Pankaj Dev, C. E. O., Janpad Panchayat, Takhatpur	Takhatpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2008

क्रमांक-एफ-4-71/32/2004.--छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का आदेश क्रमांक-एफ-4-71/32/2004, दिनांक 23-10-2004 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के खण्ड (छ) द्वारा श्री श्रीचंद सुंदरानी को रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र क्रमांक-391/प्रश/विप्रक्र/08, दिनांक 29-10-2008 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री श्रीचंद सुंदरानी द्वारा दिनांक 28-10-2004 को कार्यभार ग्रहण किया गया था.

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश के नियम, 1975 के नियम-17 के अंतर्गत उपाध्यक्ष का कार्यकाल चार साल निर्धारित है. अत: श्री श्रीचंद सुंदरानी का कार्यकाल दिनांक 27-10-2008 को स्वत: समाप्त हो गया है.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2008

क्रमांक-एफ-4-71/32/2004.—छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का आदेश क्रमांक-एफ-4-71/32/2004, दिनांक 23-10-2004 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के खण्ड (क) द्वारा श्री श्याम बैस को रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र क्रमांक-391/प्रश/विप्रक्र/08, दिनांक 29-10-2008 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री श्याम बैस द्वारा दिनांक 28-10-2004 को कार्यभार ग्रहण किया गया था.

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश के नियम, 1975 के नियम-17 के अंतर्गत अध्यक्ष का कार्यकाल चार साल निर्धारित है. श्री श्याम बैस का कार्यकाल दिनांक 27-10-2008 को स्वत: समाप्त हो गया है. अत: अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण का चालू प्रभार उपाध्यक्ष श्री वर्धमान सुराना को आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 6-110/2005/वाक. (आब.)/पांच.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-06-2005 द्वारा श्री सच्चिदानंद उपासने, रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

2. श्री सच्चिदानंद उपासने, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन, रायपुर द्वारा व्यक्तिगत कारणों से उक्त पद से दिया गया त्यागपत्र राज्य शासन एतद्द्वारा आज दिनांक 31-10-2008 (अपरान्ह) से स्वीकृत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-54/दो/गृह/परीक्षा/08.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राजकुमार नेताम	उ. श्रे. लिपिक	उत्तीर्ण उच्चस्तर से

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री भरत लाल सोन	पंजीयक लिपिक	उत्तीर्ण निम्नस्तर से
3.	सुश्री प्रियंका श्रीरंगे	जिला पंजीयक	उत्तीर्ण उच्चस्तर से
4.	सुश्री शशीकान्ता पात्रे	उप पंजीयक	उत्तीर्ण उच्चस्तर से
5.	सुश्री उषा साहू	जिला पंजीयक	उत्तीर्ण उच्चस्तर से

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-69/दो/गृह/परीक्षा/08.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया प्रश्न पत्र-1 (बिना पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्राप्तांक (4)
1.	श्री शैलेश कुमार बघेल	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-71/दो/गृह/परीक्षा/08.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री सिसिलिया कुजूर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	रश्मि साहू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री ओंकार यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री प्रवीण चन्द्र श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री परितोष इन्द्र गुरू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
6.	सुश्री नीता दीवान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	सुश्री दीप्ति मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री मनोज कुमार चन्देल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री सुरेन्द्र पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री शैलेन्द्र पाटले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री प्रशांत कुमार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री सुरेन्द्र कुमार गोड़	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-79/दो/गृह/परीक्षा/08.—सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	रिमार्क (4)
1.	श्री तुलाराम भारद्वाज	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री राकेश कुमार ध्रुव	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चतर से उत्तीर्ण
3.	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी	नायब तहसीलदार	प्रथम में सश्रेय एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री विश्वासराव मस्के	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्री विजेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	कु. अवन्ती गुप्ता	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	कु. ललिता भगत	नायब तहसीलदार	प्रथम में सश्रेय एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री तीर्थराज अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	कु. सुमिता पाण्डे	नायब तहसीलदार	प्रथम में सश्रेय एवं द्वितीय में उच्चतर से उत्तीर्ण
10.	श्री अजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
11.	कु. संगीता अग्रवाल	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	सुश्री शम्मी आबिदी	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
13.	श्री बसवराजु एस.	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री के. सी. देवसेनापति	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री हिम शिखर गुप्ता	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
16.	श्री यशवन्त कुमार	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
18.	सुश्री रेणुका श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
19.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-87/दो/गृह/परीक्षा/08.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री नीलिमा अग्रवाल	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-88/दो/गृह/परीक्षा/08.—पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र लेखा प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों) के द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. सामवती मालवीय	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	डॉ. कन्हैया लाल राम	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-90/दो/गृह/परीक्षा/08.—कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र लेखा-प्रथम (पुस्तकों सहित), द्वितीय-प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री जोगेन्द्रर लाल	सहा. कृषि अभियंता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-96/दो/गृह/परीक्षा/08.—सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री के. सी. देवसेनापति	सहायक कलेक्टर (आई. एफ. एस.)
2.	श्री बसवराजु एस	सहायक कलेक्टर (आई. एफ. एस.)

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-99/दो/गृह/परीक्षा/08.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री, उप अभियंता एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	सुश्री सुनीता पटैरिया	उप अभियंता
2.	श्री भानुशंकर पाटकर	उप अभियंता
3.	श्री रामकुमार देवांगन	उप अभियंता
4.	सुश्री भावना देशमुख	उप अभियंता
5.	श्री टिकेन्द्र कुमार देशमुख	उप अभियंता
6.	श्री पुरीराम चौहान	उप अभियंता
7.	श्री भानुप्रकाश साहू	उप अभियंता
8.	श्री मनीष कुमार रामटेके	उप अभियंता
9.	श्री रामजीत सिंह	उप अभियंता

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-100/दो/गृह/परीक्षा/08.—ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र लेखा व स्थापना प्रश्न पत्र-4 विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री टिकेन्द्र कुमार देशमुख	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	सुश्री भावना देशमुख	उप अभियंता	उत्तीर्ण
3.	श्री हिमेन्द्र कुमार साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
4.	श्री रामकुमार देवांगन	उप अभियंता	उत्तीर्ण
5.	श्री भानुशंकर पाटकर	उप अभियंता	उत्तीर्ण
6.	श्री पुरीराम	उप अभियंता	उत्तीर्ण
7.	श्री भानुप्रकाश साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
8.	सुश्री सुनीता पटैरिया	उप अभियंता	उत्तीर्ण
9.	श्री मनीष कुमार रामटेके	उप अभियंता	उत्तीर्ण
10.	श्री रामजीत सिंह	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-56/दो/गृह/परीक्षा/08.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री परितोष इन्द्र गुरू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	रश्मि साहू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री सिसिलिया कुजूर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार गोड़	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-63/दो/गृह/परीक्षा/08.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैं :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री प्रियंका श्रीरंगे	जिला पंजीयक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री ऊषा साहू	जिला पंजीयक	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-67/दो/गृह/परीक्षा/08.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23-7-2008 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री परितोष इन्द्र गुरू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री सिसिलिया कुजूर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	रश्मि साहू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री सुनीता सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री आशीष सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

7.	श्री प्रशांत कुमार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री सुरेन्द्र कुमार गोंड़	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री शैलेन्द्र पाटले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	सुश्री नीता दीवान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	सुश्री दीप्ति मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री मनोज कुमार चन्देल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री सुरेन्द्र पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-70/दो/गृह/परीक्षा/08.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	सुश्री एस. प्रेमलता	आईपीएस (परिवीक्षाधीन)
2.	श्री राजेन्द्र नारायण दाश	आईपीएस (परिवीक्षाधीन)

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-73/दो/गृह/परीक्षा/08.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	सुश्री एस. प्रेमलता	आईपीएस (परिवीक्षाधीन)
2.	श्री राजेन्द्र नारायण दाश	आईपीएस (परिवीक्षाधीन)

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-91/दो/गृह/परीक्षा/08.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग-द्वितीय प्रश्न" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री नीलिमा अग्रवाल	सहा. जनसम्पर्क अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-94/दो/गृह/परीक्षा/08.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्न पत्र-3 (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्राप्तांक (4)
1.	श्री जगदीशन एस	उप वन मण्डल अधिकारी (आइ. एफ. एस.)	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-95/दो/गृह/परीक्षा/08.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्न पत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री नीलिमा अग्रवाल	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-9-98/दो/गृह/परीक्षा/08.—ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री मनीष कुमार रामटेकें	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री रामजीत सिंह	उप अभियंता	उत्तीर्ण
3.	श्री पुरीराम चौहान	उप अभियंता	उत्तीर्ण
4.	सुश्री सुनीता पटैरिया	उप अभियंता	उत्तीर्ण
5.	श्री टिकेन्द्र कुमार देशमुख	उप अभियंता	उत्तीर्ण
6.	श्री हिमेन्द्र कुमार साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
7.	सुश्री भावना देशमुख	उप अभियंता	उत्तीर्ण
8.	श्री भानुप्रकाश साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
9.	श्री रामकुमार देवांगन	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-9-57/दो/गृह/परीक्षा/08.—सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई, 2008 को पहला प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री मंजु महेन्द्र पाण्डेय	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री आशीष कुमार शर्मा	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-9-72/दो/गृह/परीक्षा/08.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री तुलाराम भारद्वाज	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	कु. सौम्या चौरसिया	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	कु. रीता यादव	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री राकेश कुमार ध्रुव	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री विश्वास राव मस्के	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	कु. ललिता भगत	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री विजेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	सुश्री रेणुका श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	सुश्री अवन्ती गुप्ता	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
11.	सुश्री सुमिता पाण्डे	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	सुश्री संगीता अग्रवाल	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री यशवन्त कुमार	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री शिखर गुप्ता	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री के. सी. देवसेनापति	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री अजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
18.	श्री अश्वनी देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
19.	श्री तीर्थराज अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री लोकेश कुमार चन्द्राकर	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	शम्मी आबिदी	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्री बसवराजु एस	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर के उत्तीर्ण
23.	कु. द्रोपती जेसवानी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

24.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-9-97/दो/गृह/परीक्षा/08.—ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "विद्युत संबंधी विधियां" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री मनीष कुमार रामटेके	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री रामजीत सिंह	उप अभियंता	उत्तीर्ण
3.	श्री पुरीराम चौहान	उप अभियंता	उत्तीर्ण
4.	सुश्री सुनीता पटैरिया	उप अभियंता	उत्तीर्ण
5.	श्री टिकेन्द्र कुमार देशमुख	उप अभियंता	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्री भानुप्रकाश साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
7.	श्री मानुशंकर पाटकर	उप अभियंता	उत्तीर्ण
8.	सुश्री भावना देशमुख	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-9-53/दो/गृह/परीक्षा/08.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र (पुस्तक सहित) द्वितीय प्रश्न पत्र दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी, में निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न पत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री रजत कुमार	सी. ई. ओ.	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री अमित कटारिया	सी. ई. ओ.	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री मुकेश कुमार	सी. ई. ओ.	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री एस. प्रकाश	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री सौम्या चौरसिया	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	सुश्री तनुजा सलाम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री प्रकाश कुमार सर्वे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
9.	श्री राकेश कुमार ध्रुव	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण.
10.	श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री अश्वनी देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री बसवराजू एस	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री अविनाश चम्पावत	सी. ई. ओ.	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	सुश्री आरती वासनिक	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	सुश्री लीना कोसम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	सुश्री रेणुका श्रीवास्तव खरे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	सुश्री रीता यादव	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री हिम शिखर गुप्ता	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
19.	श्री यशवन्त कुमार	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	सुश्री शम्मी आबिदी	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री लोकेश चन्द्राकर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	श्री अजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
24.	श्री तीर्थराज अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री अशुतोष पाण्डे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
26.	सुश्री संगीता अग्रवाल	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	श्री विश्वास राव मस्के	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	श्री तुलाराम भारद्वाज	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
29.	श्री विजेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
30.	सुश्री अवन्ती गुप्ता	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
31.	सुश्री ललिता भगत	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
32.	सुश्री सुमिता पाण्डे	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
33.	सुश्री लीना ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र मसूरी	
34.	श्री अंकित आनन्द	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-9-103/दो/गृह/परीक्षा/08.—सहा. कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2008 को प्रश्न पत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने के स्तर (4)
1.	श्री अजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	सुश्री सुमिता पाण्डे	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री तीर्थराज अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री संगीता अग्रवाल	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री ललिता भगत	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री राकेश कुमार ध्रुव	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	श्री विजेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	सुश्री रीता यादव	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री प्रकाश कुमार सर्वे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	श्री विश्वास राव मस्के	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	सुश्री द्रोपती जेसवानी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	सुश्री पदमिनी भोई	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	सुश्री रेणुका श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री तुलाराम भारद्वाज	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	सुश्री अबन्ती गुप्ता	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	शम्मी आबिदी	सहा. कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
18.	श्री यशवन्त कुमार	सहा. कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री हिमशिखर गुप्ता	सहा. कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री के. सी. देवसेनापति	सहा. कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक	सहा. कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-9-60/दो/गृह/परीक्षा/08.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 एवं 23 जुलाई, 08 को प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी	पदनाम	प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री तुलाराम भारद्वाज	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर एवं द्वितीय और तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण.
2.	श्री प्रकाश कुमार सर्वे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री ललिता भगत	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं तृतीय में निम्नस्तर एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
5.	श्री राकेश कुमार ध्रुव	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर एवं द्वितीय और तृतीय में उच्चस्तर में उत्तीर्ण.
6.	श्री विश्वास राव मस्के	नायब तहसीलदार	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री लोकेश कुमार चन्द्राकर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री अश्वनी देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	सुश्री संगीता अग्रवाल	नायब तहसीलदार	प्रथम, द्वितीय में उच्चस्तर से एवं तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण.
10.	सुश्री अवन्ती गुप्ता	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	सुश्री रेणुका श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री विजेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं तृतीय में निम्नस्तर एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
13.	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय एवं द्वितीय और तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	श्री अजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	सुश्री सुमिता पाण्डेय	नायब तहसीलदार	प्रथम में सश्रेय, द्वितीय में उच्चस्तर एवं तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण.
16.	श्री तीर्थराज अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री यशवन्त कुमार	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री हिम शिखर गुप्ता	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय में उच्चस्तर एवं तृतीय सश्रेय से उत्तीर्ण
19.	शम्मी आबिदी	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं तृतीय में सश्रेय से और द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
20.	श्री बसवराजु एस	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
21.	श्री के. सी. देवसेनापति	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	सुश्री रीता यादव	सी. ई. ओ.	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
24.	सुश्री तनुजा सलाम	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
25.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
26.	श्री आर. प्रसन्ना	सी. ई. ओ.	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र मसूरी	
27.	श्री अलेक्स पाल मेनन	सहायक कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	सुश्री एस. भारतीय दासन	सहायक कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2009 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-111/दो-गृह 2009.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 19 जनवरी से 25 जनवरी, 2009 तक रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष परीक्षा में सम्मिलित अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 19-01-2009

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न-पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 19-01-2009	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 20-01-2009	
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	

मंगलवार, दिनांक 20-01-2009

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	बुधवार, दिनांक 21-01-2009	
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	बुधवार, दिनांक 21-01-2009	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	गुरुवार, दिनांक 22-01-2009	
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 23-01-2009	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	

शुक्रवार, दिनांक 23-01-2009

(1)	(2)	(3)
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियां के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अ. जा. तथा आदिवासी विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

शनिवार, दिनांक 24-01-2009

58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए.

4. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा शीघ्र अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावें कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है का उल्लेख किया जावे.

5. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर को दिनांक 02-01-2009 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक-रा. प्र. क्र./04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	बिसरपानी (नागाडांड़)	12.106	प्रभारी अधिकारी, छ. ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., अम्बिकापुर.	बाक्साइट उत्खनन

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 नवम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 /अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सियारपाली प. ह. नं. 20	2.037	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 नवम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मौहापाली प. ह. नं. 20	24.964	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 नवम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-विश्वनाथपाली, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.479 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123/1	0.081
121/9	0.275
112	0.085
121/5	0.267
242/2	0.154
221/2	0.809
119	0.113
120	0.036
118	0.020
113	0.024
117	0.049
115/2	0.243
115/1	0.174
110	0.012
111	0.024
124/2	0.024
18/1	0.028
18/3	0.049
19	0.008
21/2	0.004
योग	2.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विश्वनाथपाली जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 नवम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोईंग, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79/4	0.380
योग	0.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विश्वनाथपाली जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-पतईडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	31/1	0.40
	31/2	0.43
	33/2	0.08
	33/3	0.29
योग	4	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पतईडीह से जैतपुरी पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2008

रा. प्र. क्र./04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैंनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-बिसरपानी (नागाडांड़)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.106 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	176	3.330
	178	6.188
	178/13 क	0.728
	178/13 ख	0.405
	178/14	0.761
	178/16	0.694
योग		12.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बिसरपानी (नागाडांड़) में बाक्साइट उत्खनन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 अक्टूबर 2008

रा. प्र. क्र./9/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-सिरसी, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-73.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
520	0.41
521	0.10
522	0.40
523	0.27
526	1.09
527/1	0.15
527/2	1.19
529	2.02
530	0.77
531	0.48
532	0.43
533/1	0.46
533/2	0.38
533/3	0.30
534	0.33
535	0.32
536	0.07
537	0.18
538	0.11
539/1	0.27
539/2	0.26
540	0.06
541	0.29
542	0.27
543	0.11
544	0.30
545	0.06
546	0.16
547	0.18
548	0.25
549	0.10
550/1	0.12
550/2	0.03
551/1	0.20
551/2	0.02
552	0.17
553	0.16
554/1	0.05
554/2	0.03
554/3	0.20
555	1.18
557	0.40
558	0.61
560/1	1.47
560/2	0.20
561	0.07
562	0.67
563	0.98
564	0.15
565	1.53
566	0.23
567	0.33
568	0.29
569	0.87
570	0.35
571	0.03
572	0.42
573	0.27
574	0.10
575	0.03
576	0.77
578/1	0.23
578/2	0.23
578/3	0.46
579/1	0.08
579/2	0.18
580	0.54
581	0.42
582	0.35
583/1	0.08
583/2	0.10
584/1	0.24
584/2	0.24
585	0.36

(1)	(2)	(1)	(2)
586	0.18	634	0.08
587	0.37	635	0.11
588	0.13	636	0.08
589	0.33	637/1	0.08
590	0.42	637/2	0.02
591	0.39	637/3	0.03
592	0.25	638	0.19
593	0.20	639	0.08
594	0.09	641	0.03
595	0.44	642	0.10
596	0.33	643/1	0.06
597	0.15	643/2	0.17
598	0.14	644	0.21
599	0.15	645	0.20
602/1	0.11	646	0.36
602/2	0.10	647	0.18
602/3	0.10	648	0.09
603	0.20	649	0.09
604	0.21	650	0.05
605	0.14	651	0.04
606	0.32	652	0.11
607	0.14	653	0.23
608	0.19	654	0.14
609/1	0.09	655	0.01
609/2	0.05	656	0.12
609/3	0.26	657	0.14
609/4	0.44	665	0.29
609/5	0.50	2796	0.59
609/6	0.11	2799	0.18
609/7	0.20	2800	0.18
609/8	0.02	2804	0.46
609/9	0.41	2805	0.20
609/10	0.46	2806/1	0.39
610/1	0.12	2806/2	0.11
610/2	0.11	2806/3	0.28
623	0.15	2807	0.10
624	0.07	2808	0.10
625	0.40	2809	0.77
626	0.31	2810	0.14
627	0.21	2811	0.06
628	0.41	2812	0.20
629	0.16	2813	0.20
630	0.64	2814	1.12
631	0.22	2815	0.41
632/1	0.12	2816	0.20
632/2	0.12	2817/1	0.39
633	0.07	2817/2	0.06

(1)	(2)
2818	0.38
2820	0.51
2821	0.24
2822	0.79
2823	0.07
2824	0.06
2825	0.17
2826	0.13
2827	0.07
2828	0.91
2829	0.19
2830	0.12
2831/1	0.08
2831/2	0.55
2832/1	0.37
2832/2	0.13
2833	1.43
2849	0.81
2850	1.01
2851	0.43
2852	0.78
2853	0.13
2854	0.17
2855	0.54
2856	0.32
2857	0.32
2858	0.26
2859	0.27
2860	0.28
2861	0.85
2862	1.09
2863	0.74
2864/1	0.06
2864/2	0.10
2864/3	0.10
2864/4	0.30
2864/5	0.04
2864/6	0.04
2865/1	0.07
2865/2	0.07
2866	1.25
2867	0.38
2868	0.33
2869/1	0.05
2869/2	0.04
2869/3	0.04
2870	0.14
2871	0.73
2872	0.38
2873	0.37
2874/1	0.14
2874/2	0.07
2874/3	0.06
2874/4	0.06
2875	0.58
2876	0.56
2877	0.18
2878	0.06
2879/1	0.06
2879/2	0.13
2880	0.05
2881	0.07
2882	0.30
2883/1	0.60
2883/2	0.35
2883/3	0.35
2884	0.06
2885	0.14
2886	0.26
2887/1	0.21
2887/2	0.11
2887/3	0.06
2887/4	0.06
2888	0.15
2889	0.20
2890	0.12
2894	0.23
656/2981	0.57
554/2982	0.37
555/2983	0.65
630/2986	0.04
527/2988	0.55
योग 250	73.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भैयाथान ताप विद्युत परि. के आवासीय परिसर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय-अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पेन्ड्रीतराई, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.152 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
194	0.457
199	0.121
203	0.097
201/2	0.024
202/2	0.045
202/7	0.134
205/8	0.037
217/13	0.040
205/1	0.073
217/2	0.049
217/3	0.008
205/9	0.085
217/14	0.040
204/2	0.113
204/1	0.134
217/4	0.097
215	0.186
285/6	0.110
285/8	0.206
285/4	0.008
285/11	0.081
286/3	0.105
286/2	0.138
286/1	0.008
286/7	0.150
267/1	0.110
267/4	0.040
265/13	0.020
265/6	0.360
265/18	0.036
265/14	0.040
योग 31	3.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में नूनछापर वितरक नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पवनतरा, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	253/3	0.198
योग	1	0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में दुल्लापुर वितरक नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पवनतरा, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.910 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7/1	0.280
	7/2	0.250
	10	0.070
	21	0.070
	11/2	0.150
	23	0.040
	9	0.070
	20	0.050
	12	0.180
	16	0.200
	17	0.080
	18	0.060
	19	0.050
	22	0.210
	14	0.150
योग	15	1.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में अमलीडीह वितरक नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-टाटावाही, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.509 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73	0.267
70/6	0.081
70/4	0.004
4/5	0.162
30/3	0.008
21, 23, 24, 25/4	0.049
30/11	0.045
70/8	0.073
4/22	0.137

(1)	(2)
4/21	0.064
70/7	0.049
70/5	0.061
70/1	0.093
27	0.105
21, 23, 24, 25/1	0.032
21, 23, 24, 25/3	0.235
30/4	0.065
70/2	0.008
4/3	0.141
21, 23, 24, 25/7	0.049
30/15	0.016
71/1	0.016
71/2	0.004
67/1	0.190
67/2	0.194
4/2	0.037
4/9	0.008
30/1	0.121
21, 23, 24, 25/10	0.049
30/2	0.146
योग 30	2.509

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में नूनछापर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-नूनछापर, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.621 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/6	0.234
37/3	0.154
42	0.243
41	0.364
39/1	0.089
38/3	0.101
38/1	0.016
38/2	0.089
35/4	0.113
19/3	0.093
19/2	0.065
29	0.060
योग 12	1.621

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में नूनछापर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भादूटोला, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.330 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93	0.101

	(1)	(2)
	86	0.290
	85	0.240
	84	0.126
	79/1	0.105
	79/2	0.105
	76/2	0.101
	76/3	0.150
	76/4	0.201
	11	0.081
	12	0.285
	4/5	0.231
	4/6	0.291
	33	0.631
	39	0.931
	40/1	0.050
	40/2	0.050
	40/3	0.050
	40/4	0.040
	40/5	0.050
	40/7	0.050
	40/6	0.050
	43	0.121
योग	23	4.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में अमलीडीह वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सिघनपुरी, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	353/2	0.235
योग	1	0.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में दुल्लापुर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-चनाटोला, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.940 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34	0.243

(1)	(2)
35/1	0.040
44/5	0.283
49/2	0.008
49/3	0.097
49/4	0.116
60	0.024
59/1 ग	0.067
59/1 ड	0.073
59/1 झ	0.062
59/1 ज	0.061
59/2	0.045
59/15	0.008
59/1	0.073
59/1 त	0.075
59/1	0.037
58/2	0.004
58/6	0.121
58/1	0.085
58/5	0.025
58/5	0.008
59/9	0.070
59/10	0.012
71/1	0.010
73/2	0.008
73/1	0.235
43	0.050
योग	1.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में दुल्लापुर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.988 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	18	0.097
	17	0.102
	19/1	0.008
	16/1	0.089
	14	0.309
	11	0.383
योग	6	0.988

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में नूनछापर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 12 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कटोरी, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.092 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38/4	0.162
38/2	0.120
38/3	0.101
39	0.110
43	0.080
42/1	0.100
69	0.033
42/2	0.008
46/2	0.040
46/7	0.057
46/3	0.070
46/1	0.008
45	0.065
56/1	0.050
56/2	0.150
68/4	0.228
68/2	0.270
73	0.154
72	0.151
75/1	0.135
योग 20	2.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में दुल्लापुर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद, दिनांक 04 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2049/क/खनिज/2008.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के तहत महासमुंद जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध रहेगा.

स. क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	खनिज	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	घोडारी	87	चूनापत्थर	महासमुंद	6/1 का भाग	2.66 एकड़	स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण खुला घोषित किया जा रहा है.

सुरेन्द्र कुमार जायसवाल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th October 2008

No. 1568/HCLSC/2008.—It is hereby notified for general information that Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Sunil Kumar Sinha, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, as Chairman of the Chhattisgarh High Court Legal Services Committee, with immediate effect from 16-10-2008.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. L. JOSHI, Secretary.